रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2387] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 4, 1936
No. 2387] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 4, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

का.आ. 2969(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में अनुसूची 1 में, --

(i) भाग 'क' के अधीन शीर्षक "उर्वरकों के विनिर्देश" में, उपशीर्षक 1(ज) 100% जल विलेय संमिश्र उर्वरक में क्रम संख्यांक 4 में, --

(क) मद (i) में, शब्दों और अंक, "भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का न्यूनतम प्रतिशत 15.5" के स्थान पर "भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल और नाईट्रेट के रूप में) का प्रतिशत, 15.5 न्यूनतम" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) मद (ii) में, शब्दों और अंक, "भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का अधिकतम प्रतिशत 1.1" का लोप किया जाएगा।

(ii) भाग ख के अधीन शीर्षक "विभिन्न उर्वरकों के लिए पादप पोषक तत्व और भौतिक पैमाना में सहन सीमा" में, मद संख्यांक 3 और उसके अधीन संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3	कस्टमाइज्ड उर्वरक और पुष्ट उर्वरक के लिए पोषक तत्व स्तर % प्राथमिक पोषक तत्व (एन.पी.के.) और गौण पोषक तत्व (एस, सी ऐ, एम जी) के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए	प्रत्येक पोषक तत्व के लिए 0.5 यूनिट सभी संयुक्त पोषक तत्वों के 7.5 प्रतिशत अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए पोषक तत्व का 10 प्रतिशत या 0.5 यूनिट"।

[फा. सं. 2-2/2014-उर्वरक विधि]

ई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2014

S.O. 2969(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Fourth Amendment Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1985, in the Schedule 1,-

(i) in Part A under the heading "Specification of fertilisers", in sub-heading 1 (h), 100% water Soluble Complex fertilizer, at serial 4,-

(a) in the item (i), for the words and figure "Total nitrogen per cent by weight, minimum 15.5", the words and letter "Total nitrogen (Ammonical and Nitrate form) per cent by weight, minimum 15.5) shall be substituted;

(b) in the item (ii), the words and figure" Ammonical nitrogen per cent by weight, maximum 1.1" shall be omitted

(ii) in Part B, under the heading "Tolerance limit in Plant Nutrients and Physical Parameters for various fertilisers", for the item number 3 and entries relating thereunder the following shall be substituted namely:—

"3	For Customised fertilizers and fortified fertilizer: Nutrient level % for primary nutrient (NPK) and secondary nutrient (S,Ca, Mg)] for micronutrients:	 0.5 units for each nutrient. 10 per cent of each nutrient or 0.5 unit which ever is less subject to maximum of 7.5 per cent of all the combined nutrients".

[F. No. 2-2/2014-Fert Law]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2014

का.आ. 2970(अ).—केंद्रीय सरकार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन बनाए गए) के खंड 20ख के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्राहक अपेक्षित उर्वरकों का निम्नलिखित विनिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. एनःपी$_2$ओ$_5$:के$_2$ओ:एसःजैडएन:बी::8:16:21:0:0.5

1.	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
2.	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	8.0
3.	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	5.4
4.	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	2.6
5.	भार के आधार पर न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फास्फेट (पी$_2$ओ$_5$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	16.0
6.	भार के आधार पर जल में घुलनशील पी$_2$ओ$_5$ का प्रतिशत, न्यूनतम	14.2
7.	भार के आधार पर जल में घुलनशील के$_2$ओ का प्रतिशत, न्यूनतम	21.0
8.	भार के आधार पर जिंक का जेड एन के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.5

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:—

(क) फसल - गन्ना (बेसल एप्लीकेशन)

(ख) जिले - आंध्र प्रदेश के विजियानग्रम और विशाखापत्तनम

2. एनःपी$_2$ओ$_5$:के$_2$ओएसःजैडएन:बी ::11:18:10:0:0.4:0.2

1.	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
2.	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन का प्रतिशत,न्यूनतम	11.0
3.	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	6.0
4.	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	5.0
5.	भार के आधार पर न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फास्फेट (पी$_2$ओ$_5$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	18.0
6.	भार के आधार पर जल में घुलनशील पी$_2$ओ$_5$ का प्रतिशत, न्यूनतम	16.0
7.	भार के आधार पर जल में घुलनशील के$_2$ओ का प्रतिशत, न्यूनतम	10.0
8.	भार के आधार पर जिंक का जेड एन के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.4
9.	भार के आधार पर बोरान का बी के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.2

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) फसल – कपास (बेसल एप्लीकेशन)

(ख) जिले - नासिक, अहमदनगर, धूले, नंदूरबार, जलगांव, अकोला, नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर

3. एनःपी$_2$ओ$_5$:के$_2$ओ:एस:जैडएन :: 12:24:0:0:0.5

1.	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
2.	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	12.0
3.	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	9.5
4.	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	2.5
5.	भार के आधार पर न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फास्फेट ($पी_2ओ_5$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	24.0
6.	भार के आधार पर जल में घुलनशील $पी_2ओ_5$ का प्रतिशत, न्यूनतम	21.0
7.	भार के आधार पर जिंक का जेड एन के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	0.5

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:—

(क) फसल – कपास (बेसल एप्लीकेशन)

(ख) जिले - अदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, नालगोंडा, वारंगल, करीमनगरम, रंगारेड्डी, कृष्णा, खम्मम, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिले

4. एनःपी:के:24:0:16

1.	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	1.5
2.	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	24.0
3.	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	24.0
4.	भार के आधार पर जल में घुलनशील के2ओ का प्रतिशत, न्यूनतम	18.0

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:—

(क) फसल – कपास (टाप ड्रेस)

(ख) जिले - अदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, नालगोंडा, वारंगल, करीमनगरम, रंगारेड्डी, कृष्णा, खम्मम, आंध्र प्रदेश के गुंटुर और प्रकाशम जिले

5. $के_2ओ$एस:एमजी:सीए:जैडएनःबी :: 16:11:5:0.3:0.3:0.3 (100 प्रतिशत जल में घुलनशील)

क्रम सं.	**वर्णन**	**मान**
1	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	0.5
2	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटाश ($के_2ओ$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	16.0
3	भार के आधार पर जल में घुलनशील सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	11.0
4	भार के आधार पर जल में घुलनशील मैगनीशियम (एम जी के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	5.0
5	भार के आधार पर जल में घुलनशील कैल्शियम (सी ए के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.3
6	भार के आधार पर जल में घुलनशील जिंक (जेड एन के रूप में)का प्रतिशत, न्यूनतम	0.3
7	भार के आधार पर जल में घुलनशील बोरोन (बी के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.3
8	भार के आधार पर अघुलनशील पदार्थ का प्रतिशत, न्यूनतम	1.0

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित पर लागू होंगे:—

(क) फसल - सेब

(ख) जिला - कश्मीर के अनंतनाग, बांदीपुर, बारामुल्ला, गांदरबल, कूपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम, श्रीनगर।

[फा. सं. 2-2/2014-उर्वरक विधि]

ई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2014

S.O. 2970(E).—In pursuance of clause 20 B of the Fertiliser (Control) Order,1985, (made under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955) the Central Government hereby notifies the specifications of the customised fertilizers for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette as follows, namely:—

1. $N:P_2O_5:K_2O:S:Zn:B :: 8:16:21:0:0.5$

1.	Moisture, per cent by weight, maximum	1.5
2.	Total Nitrogen, per cent by weight, minimum	8.0
3.	Ammonical Nitrogen, per cent by weight, minimum	5.4
4.	Urea Nitrogen, per cent by weight, minimum	2.6
5.	Neutral Ammonium Citrate Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	16.0
6.	Water Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	14.2
7.	Water Soluble K_2O, per cent by weight, minimum	21.0
8.	Zinc as Zn, per cent by weight, minimum	0.5

The specifications given above are applicable to the following:—

(a) Crop-Sugarcane (Basal application)

(b) Districts - Vizianagaram and Vishakhapatnam of Andhra Pradesh .

2. $N:P_2O_5:K_2O:S:Zn:B :: 11:18:10:0:0.4:0.2$

1.	Moisture, per cent by weight, maximum	1.5
2.	Total Nitrogen, per cent by weight, minimum	11.0
3.	Ammonical Nitrogen, per cent by weight, minimum	6.0
4.	Urea Nitrogen, per cent by weight, minimum	5.0
5.	Neutral Ammonium Citrate Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	18.0
6.	Water Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	16.0
7.	Water Soluble K_2O, per cent by weight, minimum	10.0
8.	Zinc as Zn, per cent by weight, minimum	0.4
9.	Boron, as B, per cent by weight	0.2

The specifications given above are applicable to the following:—

(a) Crop : Cotton (Basal application)

(b) Districts : Nashik, Ahmednagar, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Akola, Nagpur, Wardha, Amravati, Yavatmal, Chandrapur of Maharashtra).

3. N:P_2O_5:K_2O:S:Zn 12:24:0:0:0.5

1.	Moisture, per cent by weight, maximum	1.5
2.	Total Nitrogen, per cent by weight, minimum	12.0
3.	Ammonical nitrogen per cent by weight, minimum	9.5
4.	Urea Nitrogen, per cent by weight, minimum	2.5
5.	Neutral Ammonium Citrate Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	24.0
6.	Water Soluble P_2O_5, per cent by weight, minimum	21.0
7.	Zinc as Zn , per cent by weight, minimum	0.5

The specifications given above are applicable to the following:—

(a) Crop : Cotton, Basal application

(b) Districts Adilabad, Nizamabad, Medak, Nalgonda, Warangal, Karimnagar, Rangareddy, Krishna, Khammam, Guntur and Prakasam districts of Andhra Pradesh.

4. N:P:K: 24:0:16

1.	Moisture, per cent by weight, maximum	1.5
2.	Total Nitrogen, per cent by weight, minimum	24.0
3.	Urea Nitrogen, per cent by weight, minimum	24.0
4.	Water Soluble K2O, per cent by weight, minimum	18.0

The specifications given above are applicable to the following:—

(a) Crop :- Cotton (Top Dress)

(b) Districts - Adilabad, Nizamabad, Medak, Nalgonda, Warangal, Karimnagar, Rangareddy, Krishna, Khammam, Guntur and Prakasam districts of Andhra Pradesh.

5.**K_2O:S:Mg:Ca:Zn:B : : 16:11:5:0.3:0.3:0.3 (100% water soluble)**

Sl. No	Description	Value
1	Moisture percent by weight, maximum	0.5
2	Water soluble potash (as K_2O)per cent by weight,minimum	16.0
3	Water soluble sulphur (as S)per cent by weight, minimum	11.0
4	Water soluble magnesium (as Mg) per cent by weight, minimum	5.0
5	Water soluble calcium (as Ca) per cent by weight, minimum	0.3
6	Water soluble zinc (as Zn) per cent by weight, minimum	0.3
7	Water soluble boron (as B) percent by weight, minimum	0.3
8	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	1.0

The specifications given above are applicable to the following:—

(a) Crop : Apple

(b) Districts : Anantnag, Bandipore, Baramulla,Ganderbal, Kupwara, Kulgam, Pulwama, Shupiyan, Badgam, Srinagar of Kashmir.

[F. No. 2-2/2014-Fert Law]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2014

का.आ. 2971(अ).—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20क के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम उर्वरक **4 प्रतिशत सल्फर** के साथ **कोटेड डाई अमोनियम फास्फेट** का विनिर्माण करने की बाबत विनिर्देश करती है, अर्थात्:—

4 प्रतिशत सल्फर के साथ **कोटेड डाई अमोनियम फास्फेट**

1.	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	2.5
2.	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	18.0
3.	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	15.5
4.	भार के आधार पर यूरिया के रूप में नाईट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम	2.5
5.	भार के आधार पर न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फास्फेट ($पी_2ओ_5$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	46.0
6.	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फेट ($पी_2ओ_5$ के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	41.0
7.	भार के आधार पर कुल सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	4.0
8.	भार के आधार पर एलीमेंटल सल्फर (एस के रुप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	3.0
9.	कण का आकार - सामग्री का 90 प्रतिशत के अन्यून 4 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में से छन जाएगा और 1 मि.मी. की भारतीय मानक छलनी पर रह जाएगा और 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी आकार से कम न हो।	

[फा. सं. 2-2/2014-उर्वरक विधि]

ई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2014

S.O. 2971(E).—In pursuance of clause 20 A of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby fixes the specifications in respect of provisional fertilizer **Di Ammonium Phosphate Coated with 4% Sulphur** to be manufactured in India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Di Ammonium Phosphate fortified with 4% Sulphur.

1.	Moisture, per cent by weight, maximum	2.5
2.	Total Nitrogen, per cent by weight, minimum	18.0
3.	Ammonical nitrogen per cent by weight, minimum	15.5
4.	Nitrogen in the form of urea, per cent by weight, minimum	2.5
5.	Neutral Ammonium Citrate Soluble Phosphate (as P_2O_5), per cent by weight, minimum	46.0
6.	Water Soluble Phosphate (as P_2O_5) per cent by weight, minimum	41.0
7.	Total Sulphur (as S), per cent by weight, minimum	4.0
8.	Elemental Sulphur (as S) per cent by weight, minimum	3.0
9.	Particle size – Not less than 90 per cent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve. Not more than 5 per cent shall be below 1 mm IS sieve.	

[F. No. 2-2/2014-Fert Law]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.